



महाराजा सुरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर(राज.)

अस्थाई कार्यालय - एम. एस. जे. महाविद्यालय परिसर, भरतपुर-321001

Ph. No. 05644-220560, Email- brijuniversitybtp@gmail.com


website : www.msbrjuniversity.ac.in

कमांक :- प.3(26)मसूबूवि/सम्बद्धता/2017/1085

दिनांक: 11.07.2017

नियम संशोधन

1. विगत सत्र की सैक्शन अभिवृद्धि/गत सम्बद्धता शुल्क/गत संकाय अभिवृद्धि/विषय अभिवृद्धि आदि का समायोजन एवं वापसी की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।(बोम 19.06.2017 की अनुशंषानुसार)
2. बन्द हो चुके/बन्द करने के लिए प्रस्तावित महाविद्यालयों को एफ.डी.आर. कैश कराने हेतु निम्नलिखित कार्य करने होंगे -
 - ✓ "महाविद्यालय पर किसी की कोई देनदारी नहीं है।" इस आशय की सूचना दो स्थानीय एवं राष्ट्रीय अखबारों में सूचना प्रसारित करनी होगी। जिसका सम्पूर्ण व्यय महाविद्यालय/संस्था का होगा। (यदि किसी की कोई लेनदारी महाविद्यालय पर बकाया है तो सम्बन्धित व्यक्ति समाचार प्रकाशन के 07 दिवस में विश्वविद्यालय में ससाक्ष्य सम्पर्क करें।) (बोम 19.06.2017 की अनुशंषानुसार)
 - ✓ संस्था प्रबन्धन के वरिष्ठतम/सक्षम पदाधिकारी को उक्त विज्ञापन के विषय का शपथ-पत्र विश्वविद्यालय में भी प्रस्तुत करना होगा। (बोम 19.06.2017 की अनुशंषानुसार)
 - ✓ शेष नियम पूर्ववत एवं निजी महाविद्यालय प्रवेश नीति 2017-18 के बिन्दु संख्या 19 "स्थायी कायिक निधि (सावधि जमा/एफडीआर)" शीर्षक के अनुसार होंगे।
3. महाविद्यालय के पास विश्वविद्यालय स्थापना से 31.01.2018 तक 05 वर्ष की अवधि में स्वयं का भवन होना आवश्यक है। (बोम 19.06.2017 की अनुशंषानुसार)
4. महाविद्यालयों का निरीक्षण प्रति वर्ष कराय जावेगा। (बोम 19.06.2017 की अनुशंषानुसार)
5. सत्र समाप्ति तक भी राज्य सरकार द्वारा जारी एनओसी एवं महाविद्यालय द्वारा एफ.डी.आर. जमा नहीं करने पर सम्बन्धित महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम रोका जाकर उसमें प्रवेशित नियमित छात्रों को प्राइवेट घोषित कर निर्धारित शुल्क की वसूली की जायेगी। (बोम 19.06.2017 की अनुशंषानुसार)
6. सत्र 2017-18 से प्रारम्भ नवीन पाठ्यक्रम बी.ए.-बी.एड./बी.एससी.-बी.एड. चार वर्षीय इन्टीग्रेटेड कोर्स की एफ.डी.आर. 05 लाख प्रति पाठ्यक्रम होगी। (बोम 19.06.2017 की अनुशंषानुसार)


कुलसचिव

कुल सचिव

महाराजा सुरजमल बृज विश्वविद्यालय
भरतपुर (राज.)